भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2014/सिक(स्पे.)/6/12 नई दिल्ली, दिनांक 12.09.2019

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब
सभी क्षेत्रीय रेलें, सडिका, को.रे.का.लि., कोर, निर्माण एवं अ.अ. एवं मा.सं.

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुविब,
बल मुख्यालय, दयाबस्ती, दिल्ली-35

निदेशक,
जेआर आरपीएफ अकादमी, लखनऊ
रेसुब प्रशिक्षण केन्द्र, मौला-अली

विषय: निर्देश-32 (संशोधित) - आशोधन
संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 28.12.2017 का समसंख्यक पत्र।

निर्देश 32 (संशोधित) में निहित प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए रेसुविब कार्मिकों के स्थानांतरण एवं तैनाती के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं:-

1. पैरा 2 (क) (viii) और (ix) को विलोपित समझा जाए।

2. अराजपत्रित रेसुविब कार्मिकों का कार्यकाल निम्नानुसार माना जाएगा:-

कोटि	समूह क (दूसरी, तीसरी, छठी, नौवीं और पंद्रहवीं बटालियन)	समूह ख (16वीं महिला बटालियन को छोड़कर शेष बटालियन)	औचित्य
मुख्यालय कम्पनी	5 वर्ष का कार्यकाल	5 वर्ष का कार्यकाल	कम्पनी मुख्यालय के कर्मचारियों की बटालियन मुख्यालयों में 5 वर्ष की स्थायी तैनाती होती है, अत: ऑपरेशनल कम्पनी के कर्मचारी मुख्यालय कम्पनी से संयोजन चाहते हैं। कार्यकाल में कटौती करने से मुख्यालय कम्पनी में अन्य कार्मिकों की तैनाती के अवसर बढ़ जाएंगे।
ऑपरेशनल कम्पनी	5 वर्ष का कार्यकाल	10 वर्ष का कार्यकाल, 5 वर्ष बढ़ाया जा सकता है	समूह क बटालियनों में अधिकांश कर्मचारी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से होने के कारण इन बटालियनों की मांग रहती है। इन बटालियनों में 5 वर्ष का कार्यकाल होने से नियमित रोटेशन सुनिश्चित होगा और दूसरे बटालियनों के कर्मचारियों को इन बटालियनों में तैनाती प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा जिससे समयपूर्व स्थानांतरण तथा विभिन्न आधारों पर संयोजन में कमी आएगी।
अनुषंगी, आर्मरर, वायरलेस	5 वर्ष का कार्यकाल	10 वर्ष जिसे 5 वर्ष बढ़ाया जा सकता है	उपर्युक्त के समान। अनुषंगी, आर्मरर तथा वायरलेस कोटि सभी बटालियनों में मौजूद है।
चालक	10 वर्ष	10 वर्ष जिसे 5 वर्ष बढ़ाया जा सकता है।	उपर्युक्त के समान। बहरहाल, समूह क बटालियनों में उनका कार्यकाल 10 वर्ष रखा गया है क्योंकि चालक नगरों की सड़कों और नक्शा से परिचित होते हैं, अत: 10 वर्ष का कार्यकाल होने से उनके क्षेत्र में वाहनों का सुचारू परिचालन होगा।
अनुरोध पर स्थानांतरण	2 वर्ष	2 वर्ष	...

3. पैरा 3(xi) के बाद निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा:-

"यह प्रावधान रेसुविब के लिए लागू नहीं होगा।"

4. यदि कोई सदस्य मुख्यालय कम्पनी में निरंतर अथवा खण्डित अवधि में 3 वर्ष पूरा करता है तो उसे 5 वर्ष के बाद बटालियन से बाहर स्थानांतरण किया जाएगा अर्थात् बटालियन में उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

5. संयोजन: संयोजन की सीमा निम्नानुसार होगी (एक वर्ष के ब्लाक में)

अवधि	अंतरा बटालियन	अंतर बटालियन
30 दिनों तक	सीओ	सीएससी
60 दिनों तक	सीएससी	पीसीएससी
90 दिनों तक	पीसीएससी	पीसीएससी
90 दिनों के बाद	डीजी	डीजी

6. नए सिपाहियों के बैच: नए बैच की तैनाती से पहले स्थानांतरण संबंधी सभी अनुरोधों का निपटान कर दिया जाएगा और नए बैच के कर्मचारियों को समूह बी बटालियनों में तैनात करने की प्राथमिकता दी जाएगी।

7. अंतिम कार्यकाल: उस कर्मचारी, जिसकी सेवानिवृत्ति में दो वर्ष शेष हों, का स्थानांतरण उसकी पसंद की बटालियन में करने की प्राथमिकता दी जाएगी।

8. शैक्षिक आधार: उन कर्मचारियों जिनके आश्रित 10वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हों, के कार्यकाल में एक वर्ष का विस्तार किया जा सकता है।

9. संबंधित सीओ द्वारा इंटर कम्पनी रोटेशन प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाए। समयपूर्व रोटेशन के लिए पीसीएससी का अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

इसे महानिदेशक/रेसुब के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सुमति शांडिल्य)
उपमहानिरीक्षक/एमएसी
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि: सभी अधिकारी/सुरक्षा निदेशालय